सत्यमेव जयते

असंशोधित

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

11 जुलाई, 2023

सप्तदश विधान सभा | मंगलवार, तिथि 11 जुलाई, 2023 ई0

नवम सत्र | 20 आषाढ़, 1945 (शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय - 11.00 बजे पूर्वाह्न)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है । अब प्रश्नोत्तर काल होगा । अब अल्पसूचित प्रश्न लिये जायेंगे ।

(व्यवधान)

प्रश्नकाल है, इसे बाधित नहीं किया जाए । सभी माननीय सदस्यों का यह क्वेश्चन ऑवर होता है इसलिए जो भी कहना है वह बाद में कहिएगा, जब अवसर आयेगा। अभी प्रश्नोत्तर काल होगा ।

(व्यवधान)

श्री सत्यदेव राम : महोदय, मैं बिहार के सभी शिक्षकों के.....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री अखतरूल ईमान ।

श्री सत्येदव राम : अध्यक्ष महोदय, सूचना है ....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य सत्यदेव राम जी, सूचना बाद में दीजियेगा ।

श्री सत्येदव राम : महोदय, पूरे बिहार....

अध्यक्ष : नहीं, यह प्रश्नोत्तर काल है...

श्री सत्यदेव राम : पूरे बिहार से शिक्षक आये हैं...

(व्यवधान)

अपनी बात को, अपनी मांग को लेकर, सरकार नोटिस ले और इस पर कार्रवाई करे ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य आप बैठिये, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए । आपने और बहुत सारे माननीय सदस्यों ने अपनी सूचना दी है, वे बातें होंगी, जब उसका समय आयेगा तो हम विचार करेंगे । अभी आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए ।

माननीय सदस्य श्री अखतरूल ईमान ।

प्रश्नोत्तर काल

अल्पसूचित प्रश्न सं0-1, श्री अखतरूल ईमान (क्षेत्र सं0-56, अमौर)

श्री अखतरूल ईमान : अध्यक्ष महोदय, पूछता हूँ ।

(इस अवसर पर विपक्ष के कई माननीय सदस्यगण वेल में आ गए)

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग ।

(व्यवधान)

आपने सूचना दी है, सूचना नेता विरोधी दल की भी है । जब समय आयेगा हम उस पर विचार करेंगे ।

श्री चन्द्र शेखर, मंत्री : 1- स्वीकारात्मक है ।

2- स्वीकारात्मक है ।

3- महाविद्यालय से आवेदन प्राप्त होने पर विश्वविद्यालय द्वारा विभाग को अग्रसारित किया जाता है । संबंधित विश्वविद्यालयों को शैक्षणिक सत्र 2015-18 से अनुदान राशि प्राप्त करने हेतु ऑनलाईन प्रस्ताव उपलब्ध कराने के लिए निदेशित किया गया है । इस हेतु संबंधित विश्वविद्यालय के साथ-साथ विश्वविद्यालय के अंतर्गत संबद्ध डिग्री महाविद्यालयों के प्रतिनिधियों को विभाग में ऑनलाईन आवेदन भेजने हेतु प्रशिक्षण दिया गया है । सत्र 2015-18 के उपरान्त अन्य सत्रों हेतु संबद्ध डिग्री महाविद्यालयों से लगातार प्रस्ताव प्राप्त कर नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : प्रश्नकाल को बाधित नहीं किया जाए । यह प्रश्नकाल माननीय सदस्यों के लिए है। सदन के आप तमाम माननीय सदस्यों का यह प्रश्नकाल है, इसे बाधित नहीं किया जाए ।

(व्यवधान जारी)

माननीय सदस्य, आप अपना स्थान ग्रहण करें ।

(व्यवधान जारी)

आपने तो सूचना दी है । सदन कैसे चलता है, यही तरीका है ? यही तरीका है कि आप प्रश्नकाल नहीं चलने दीजियेगा ? आप प्रश्नकाल नहीं चलने दीजियेगा, आपने सूचना दी है या नहीं ? आपने कार्य स्थगन दिया है कि नहीं दिया है ?

(व्यवधान जारी)

माननीय सदस्यों से पोस्टर ले लिया जाय ।

श्री अखतरूल ईमान : अध्यक्ष महोदय, पिछले विषय का समर्थन किया है और माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि पिछले विगत कई वर्षों से विश्वविद्यालय की तरफ से रिक्विजिशन नहीं आने के नतीजे में इनको अनुदान की राशि नहीं भेजी गयी है । महोदय, बिहार की शैक्षणिक स्थिति बड़ी दयनीय है । सरकार ने वित्त रहित पॉलिसी को खत्म करने की बात कही थी ।

अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछिये ।

श्री अखतरूल ईमान : महोदय, मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ कि वित्त रहित पॉलिसी खत्म नहीं की गयी, स्टूडेंट के पास होने के अनुसार उनको मानदेय देने की बात कही गयी है । महोदय, आजतक उनको अनुदान की राशि छह सालों से नहीं दी गयी । वह शिक्षक कैसे जिंदा रहेगा ? बिहार की शैक्षणिक स्थिति कैसी रहेगी....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण कीजिए ।

श्री अखतरूल ईमान : क्या इसकी समीक्षा की गयी ?

अध्यक्ष : आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए । माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग ।

श्री चन्द्र शेखर, मंत्री : महोदय, उत्तर में स्पष्ट है कि....

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : आप शांति बनाये रखिये ।

श्री चन्द्र शेखर, मंत्री : अनुदान की पारदर्शिता को बनाये रखने के लिए ऑनलाईन आवेदन लिये जायेंगे । यह नई परिपाटी शुरू की गयी है, यह बात सही है कि जो....

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : आप बोलिये ।

श्री चन्द्र शेखर, मंत्री : यह बात सही है कि जो लंबित अनुदान है उसके लिए भी विभाग शीघ्र कार्रवाई करेगा ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सरकार इस पर कार्रवाई करेगी ।

श्री अखतरूल ईमान : सर, छह साल से लोगों को अनुदान नहीं मिला, कार्रवाई करेगी । यह बतायें कि कब तक करेंगे ? यह बताया जाय कि कब तक करेंगे ?

अध्यक्ष : सरकार नियमानुसार कार्रवाई करेगी ।

श्री अखतरूल ईमान : सर, समय बताया जाए कि कब तक कार्रवाई करेगी । शिक्षक भूखे मर रहे हैं.....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह ।

(व्यवधान जारी)

आप ऐसी हरकत नहीं करें ।

श्री अखतरूल ईमान : उनकी तनख्वाह दिलवाइये । छह-छह साल से लोगों को तनख्वाह नहीं मिल रही है । दूसरों के बच्चों को पढ़ाने वाले अपने बीवी-बच्चों का भरण-पोषण नहीं कर पा रहे हैं । बिहार में....

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : आपके प्रश्न का जवाब हुआ । अब आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए ।

(व्यवधान जारी)

माननीय सदस्य, ऐसा आचरण अशोभनीय है । प्रजातंत्र के ऊपर आप कलंक लगा रहे हैं । आप अपने स्थान को ग्रहण कीजिए ।

अब सभा की कार्यवाही 02.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है ।

टर्न-2/अभिनीत/11.07.2023

(अंतराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय..

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मैं एक सूचना देना चाहता हूं, आप स्थान ग्रहण कीजिए । माननीय सदस्यगण, मैं सदन को विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के तहत सुचारू रूप से चलाना चाहता हूं । सदन में प्रश्नकाल को बाधित करने की जो कार्रवाई आज कुछ माननीय सदस्यों के द्वारा की गयी है वह सर्वथा अनुचित है । सदन का समय आम जनता की समस्याओं के निदान के लिए होता है, इसलिए मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि सदन को शांति से चलाने में आसन का सहयोग करें । यदि किन्हीं माननीय सदस्यों के द्वारा सदन में अव्यवस्था कायम करने, अमर्यादित आचरण करने, सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाने के साथ-साथ सदन की गरिमा का उल्लंघन करने का प्रयास किया जायेगा तो उन माननीय सदस्यों के विरूद्ध बाध्य होकर मुझे नियमानुकूल कार्रवाई करनी होगी ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्यगण, आप सबों से मेरा यह विनम्र अनुरोध है कि मोबाइल फोन सदन में न लायें, क्योंकि सदन की कार्यवाही के समय फोन बजने से कार्य में बाधा पहुंचती है । प्राय: यह भी देखा गया है कि माननीय सदस्यगण अपने मोबाईल फोन से सदन की कार्यवाही का फोटो लेते हैं एवं वीडियो बनाते हैं । यह भी सर्वथा अनुचित है, इसलिए आप अपना मोबाईल फोन सदन में न लावें तो ज्यादा अच्छा है । अगर लाते हैं तो उसे सायलेंट मोड में रखें तथा किसी भी परिस्थिति में फोटो या वीडियो बनाने का प्रयास नहीं करें ।

अब विधायी कार्य लिये जायेंगे ।

विधायी कार्य

राजकीय विधेयक

''बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023''

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, वाणिज्य-कर विभाग ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।"

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय नेता प्रतिपक्ष, सदन में असंसदीय शब्द का प्रयोग बिल्कुल शोभा नहीं देता है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

"बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

पुर:स्थापित करने की अनुमति दी गयी ।

प्रभारी मंत्री ।

(इस अवसर पर विपक्ष के सभी माननीय सदस्यगण वेल में आ गये)

(व्यवधान)

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, मैं इसे पुर:स्थापित करता हूं ।

अध्यक्ष : यह पुर:स्थापित हुआ ।

विचार का प्रस्ताव

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023 पर विचार हो ।"

अध्यक्ष : बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 122(1) के तहत माननीय सदस्य श्री अरूण शंकर प्रसाद, श्री अखतरूल ईमान एवं श्री संजय सरावगी का विधेयक के सिद्धांत पर विमर्श का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ।

अत: सिद्धांत पर विमर्श होने के पश्चात् विचार का प्रस्ताव लिया जायेगा ।

क्या माननीय सदस्य श्री अरूण शंकर प्रस्ताव अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

(माननीय सदस्य द्वारा प्रस्ताव मूव नहीं किया गया)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री अरूण शंकर प्रसाद तथा श्री संजय सरावगी द्वारा विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित कराने का प्रस्ताव दिया गया है ।

क्या माननीय सदस्य श्री अरूण शंकर प्रसाद अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

(माननीय सदस्य द्वारा प्रस्ताव मूव नहीं किया गया)

अब मैं मूल प्रस्ताव को लेता हूं ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023 पर विचार हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अब मैं खंडशः लेता हूं । खंड-2 से 23 तक कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड-2 से 23 तक इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-2 से 23 तक इस विधेयक के अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड-1 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''नाम इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

स्वीकृति का प्रस्ताव

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023 स्वीकृत हो ।''

महोदय, मैं इसलिए इसको लाया हूं कि यह जी0एस0टी0 एक्ट के तहत जो पूरे देश में एक ही कानून है और जो संशोधन भारत सरकार द्वारा किया गया है उसी के अनुरूप हमलोग यहां कर रहे हैं । इस संशोधन से जो सही

करदाता हैं उनको सहूलियत होगी और जो करवंचना करने वाले हैं, विशेष रूप से जो इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है और उसका जो दुरूपयोग करते हैं उनके खिलाफ सख्ती बरती जायेगी । इसलिए यह आवश्यक संशोधन है जिससे बिहार में जो हमारे सही काम करने वाले लोग हैं, जो सही करदाता हैं उनको सहूलियत होगी और गड़बड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी । ये लोग भारत सरकार में लागू कर चुके हैं और फिर उसको यहां करने में कोई रूचि नहीं दिखा रहे हैं, इसलिए हम सदन से दरख्वास्त करते हैं कि इस संशोधन विधेयक को पारित करे ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023 स्वीकृत हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

''बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023 स्वीकृत हुआ ।''

प्रतिवेदनों का रखा जाना

अध्यक्ष : माननीय सभापति, निवेदन समिति ।

श्री मोहम्मद नेहालउद्दीन, सभापति, निवेदन समिति : अध्यक्ष महोदय...

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, सदन को चलने में आपलोग सहयोग करें । आप सदन को चलाइये, जनता देख रही है कि हमारे चुने हुए प्रतिनिधि विधान सभा में किस तरह जनहित के काम में बाधा डाल रहे हैं या मदद कर रहे हैं । यह बिहार की जनता देख रही है ।

श्री मोहम्मद नेहालउद्दीन, सभापति, निवेदन समिति : अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 211 के तहत निवेदन समिति का राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से संबंधित 10वाँ प्रतिवेदन, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग से संबंधित 11वाँ प्रतिवेदन तथा समाज कल्याण विभाग से संबंधित 12वाँ प्रतिवेदन की एक-एक प्रति सदन पटल पर रखता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज दिनांक- 11 जुलाई, 2023 के लिए स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या- 32 है । अगर सदन की सहमति हो तो इन्हें संबंधित विभाग को भेज दिया जाय ।

(सदन की सहमति हुई)

अब सभा की बैठक बुधवार दिनांक- 12 जुलाई, 2023 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है ।